

## सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्र.पत्र./64/2014

दर्ज दिनांक:- 05.08.2014

1. नारायणी पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. ओमपाल पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

तालेराम

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-09.02.2018

यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत पेश होने पर दर्ज किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं मूलदावा अपालना में खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र u/s 212 RTA भी अप्रार्थीगण की तलवी न कराने पर अपालना में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(पुष्कर कुमार मित्तल)

आर.ए.एस.

सहायक कलेक्टर, भरतपुर